वित्तीय स्वीकृति 2021-22
संख्या-1/2022/644 / बावन-2-2022-2(1) / 2019

प्रेषक,

शकील अहमद सिद्दीकी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2022**

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में लेखा शीर्षक-2049-ब्याज अदायगियाँ -03-अल्पबचतो भविष्य निधियों पर ब्याज-107- न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज-03-विशेष ऋणों पर ब्याज हेतु अवशेष वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4571/अ0सं0क0नि0-13/ लेखा / बजट-प्रा0/2020-2021 दिनांक 24.02.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लेखा शीर्षक-2049-ब्याज अदायगियाँ-03-अल्पबचतों भविष्य निधियों पर ब्याज-107-न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज-03-विशेष ऋणों पर ब्याज अदायगियों हेतु प्राविधानित कुल धनराशि 01.80 लाख (रू0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत) की धनराशि रू० 0.90 लाख (रू0 नब्बे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-124208 (1655)/52-2-2021-2 (1)/2019, दिनांक 14.09.2021 द्वारा लेखा शीर्षक-2049 के अन्तर्गत ब्याज अदायगियों हेतु विषयगत कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 1.80 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रूपये 0.90 लाख धनराशि निर्गत की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 में दिये गये प्राविधानों /निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार ब्याज अदायगियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि 01.80 लाख (रू0 एक लाख अस्सी हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त (50 प्रतिशत) के रूप में रूपये 0.90 लाख रूपये नब्बे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण आवश्यकतानुसार फेजिंग में सुनिश्चित किया जायेगा जो सामान्यतः 02 माह की आवश्यकता से अधिक नहीं होगी।

3- कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

4- उक्त मदों पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने / धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूप प्रपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 48 के लेखा शीर्षक-2049-ब्याज अदायगियाँ-03-अल्पबचतो, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज-107-न्यासों तथा धर्मादायों पर ब्याज-03-विशेष ऋणों पर ब्याज 32- ब्याज /लाभांश (भारित) के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-E-4-3496-X-2021-22-दिनांक: 23-03-2022 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(**शकील अहमद सिद्दीकी**)
उप सचिव।

संख्या-644 (1) /बावन-2-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।
3- वसीकाधिकारी, वसीका कार्यालय उ०प्र०. लखनऊ ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में) /नियोजन अनुभाग-3।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग- 4।
8- अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**शकील अहमद सिद्दीकी**)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।